

बालूघाट में नकली विदेशी शराब बनाने का भंडाफोड़



Publish Date: Mon, 24 May 2021 07:27 AM (IST) Author: Jagran

रघुनाथपाली थाना की पुलिस ने बालूघाट के नया बस्ती इलाके में छापेमारी कर नकली शराब बनाने व पैकिंग करने का भंडाफोड़ किया है।

जागरण संवाददाता, राउरकेला : रघुनाथपाली थाना की पुलिस ने बालूघाट के नया बस्ती इलाके में छापेमारी कर नकली शराब बनाने व पैकिंग करने का भंडाफोड़ किया है। यहां से शराब बनाने में प्रयुक्त स्पिरिट, बड़ी संख्या में खाली बोतल, लेवल व पैकिंग की सामग्री जब्त की गई हैं। कारोबारी को गिरफ्तार कर पुलिस इसकी छानबीन में जुटी है। इससे पहले भी आरोपित शराब के कारोबार में जेल जा चुका है।

रघुनाथपाली थाना की पुलिस को बालूघाट नया बस्ती में नकली विदेशी शराब बनाने व बेचने का धंधा चलने का पता चलने पर रविवार की सुबह टीम वहां पहुंची और छापेमारी की। वहां से कारोबारी शंकर पटनायक को पकड़ा गया। उसके पास से बड़ी मात्रा में स्पिरिट, पैक की गई नकली शराब के अलावा विभिन्न ब्रांड के शराब की बोतल, ठिप्पी, लेबल एवं पैकिंग का सामान मिला है। यह सामान बोरों में भरकर रखा गया था। जांच में पुलिस को पता चला कि कारोबारी शंकर पटनायक चार साल से यहां यह धंधा कर रहा था। वह सिविल टाउनशिप तारिणी मंदिर के पास शराब की दुकान अवैध तरीके से चलाता था एवं इस मामले में उसे कई बार गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका था। जेल से आने के बाद वह फिर से अपना धंधा चालू करता था। पांच मई से लॉकडाउन व शटडाउन में शराब की मांग अधिक होने के कारण वह शराब बनाने के लिए स्पिरिट एवं विभिन्न प्रकार के केमिकल मंगाए थे जिसे मिलाकर वह नकली शराब तैयार कर बेच रहा था। लॉकडाउन में दुकान बंद होने के कारण लोग बालूघाट स्थित उसके ठिकाने से शराब ले रहे थे एवं बड़ी संख्या में लोगों के आने-जाने पर बस्ती के लोगों ने इसकी शिकायत पुलिस से की गई थी।

सेक्टर-2 शराब दुकान को लेकर कारण बताओ नोटिस : सेक्टर-2 लाल बिल्डिंग मार्केट में शराब दुकान खोलने का स्थानीय लोगों के साथ साथ मंदिर कमेटी व कलिंग स्कूल प्रबंधन की ओर से विरोध किया गया था एवं इसे स्थानांतरित करने की मांग को लेकर प्रशासन को ज्ञापन दिया गया था। शुक्रवार को यहां शराब दुकान के उद्घाटन का प्रयास किया गया था। स्थानीय लोगों ने हंगामा मचाया था एवं पुलिस के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत हुआ था। अब राउरकेला शहर सेवा विभाग की ओर से बिजली उपकरण व ऑटो मोबाइल्स के लिए आवंटित दुकान में शराब दुकान खोलने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

लाल बिल्डिंग के दुकान क्रमांक-6 में लाइसेंसी शराब दुकान खोली जा रही है। इसकी सूचना मिलने पर स्थानीय लोग विरोध करते आ रहे थे। इलाके में स्कूल, मंदिर है तथा आरएसपी के आवासीय क्वार्टर भी हैं। शराब दुकान खुलने से यहां असामाजिक तत्वों का जमावड़ा होने एवं कानून व्यवस्था बिगड़ने की आशंका जतायी जा रही थी। स्थानीय लोगों ने जिलापाल निखिल पवन कल्याण को पत्र लिखकर जगह बदलने की मांग की थी। शराब दुकान खुलने पर परिवेश बिगड़ने की आशंका जताते हुए कलिंग पब्लिक स्कूल की ओर से भी जिलापाल, एसपी व अन्य प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन दिया गया था। शुक्रवार को यहां शराब दुकान का उद्घाटन करने का कार्यक्रम था जिसका स्थानीय लोगों ने विरोध किया जिससे स्थिति तनावपूर्ण हो गई थी। शनिवार को राउरकेला शहर सेवा विभाग की ओर से पत्रांक टीएम-सीएस 804 में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि दुकान बिजली उपकरण व ओटोमोबाइल्स के लिए आवंटित की गई है। यहां विदेशी शराब की दुकान खोलने की अनुमति नहीं दी गई है। संयंत्र की ओर से दुकान मालिक से जवाब मांगा गया है तथा एक सप्ताह के अंदर जवाब नहीं देने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। स्थानीय लोगों ने भी यहां शराब की दुकान खुलने पर आंदोलन की चेतावनी दी है।

Source: <https://www.jagran.com/odisha/rourkela-fake-foreign-liquor-busted-in-balughat-21671497.html>